प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 28.02.25

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 38/25 धारा 190/191(2)/191(3)/ 123/103(1)/238A/61(2) BNS में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 21.02.25 को थाना छपरौली पर वादी श्री असगर पुत्र हाजी अख्तर निवासी पट्टी धनकौशिया कस्बा छपरौल थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी की वादी का पुत्र फैसल उम्र करीब 21 वर्ष जो दिनांक 15.02.25 को घर से बिना बताये कहीं चला गया है और वापस नही आया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 38/25 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 140(3) बीएनएस को धारा 103(1)/191(2)/191(3) /190/61(2)/238ए/3(5) बीएनएस में तरमीम किया गया है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 38/25 धारा 190/191(2)/191(3)/103(1)/238A/123/ 61(2) BNS में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक 27-02-2025 को 02 महिला अभियुक्ता सहित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम हर्षिया थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरी0 अ0 श्री अश्वनी कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत
2-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत
3-का0 633 जहांगीर पंवार थाना छपरौली जनपद बागपत
4-का0 953 अंकुल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट   दिनाँक- 28.02.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 21 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 21 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 21 पव्वे अवैध देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत।

2-उ0नि0यूटी सौम्य कृष्णात्रेय थाना दोघट जनपद बागपत।

3.का0 951 पिताम्बर थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 28.02.2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा 03 वर्ष के बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा गुमशुदा 03 वर्ष के बच्चे निवासी नेहरु विहार करावल नगर दिल्ली को अल्प समय में कस्बा बागपत से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। (बच्चे के परिजन दिल्ली से बागपत डॉक्टर के पास दवाई लेने आये थे जहां से बच्चा लापता हो गया था)

परिजनों द्वारा कोतवाली बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 369 विशाल थाना कोतवाली बागपत।

2-म0हो0गा0 809 प्रीति थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 28.02.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 117/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 चोर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए लगभग 50 किग्रा सरिया के छोटे-छोटे टुकड़े बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 27.02.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी नूरेअली पुत्र नूर अहमद निवासी ग्राम रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली द्वारा वादी की राजश्यामा कंशट्रक्शन प्रा0लि0 कम्पनी से लगभग 50 कि0ग्रा0 सरिया के टुकडे (स्क्रैप) चोरी करते हुए अभियुक्तों 1.आरिफ खान पुत्र नन्हे खान निवासी ग्राम गुलडिया अरिल थाना सिरोली जनपद बरेली व 2.सुहेल पुत्र कल्लू निवासी मौ0 माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को जनता की मदद से पकडकर थाने लाया गया। थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी किये हुए लोहे के सरिया के टुकडे बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0117/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आरिफ खान पुत्र नन्हे खान निवासी ग्राम गुलडिया अरिल थाना सिरोली जनपद बरेली।

2-सुहेल पुत्र कल्लू निवासी मौ0 माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार/हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम-

1-का0क्लर्क 1039 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2- हो0गा0 342 इमलान अली थाना कोतवाली बागपत।